

# He Gazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II-—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

266

**₹**0 318]

**नई दिल्नी, मंगलवार, सितम्बर 8, 1992/भाव 17 1914** 

No. 318 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1992/BHADRA 17, 1914

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकालन के इन्छ भें रखा जा सको

Separate Paging is given to this Pat) in order that it may be filed as a separate compilation

विन्त मत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

श्रधिसुचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992

(भ्रायकर)

मा. का नि 758(ब्र):—पत स्राय पर करा के सबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय प्रपयंचन को रोकने के लिए भारा गणराज्य की मरकार और वाग्लादेश लोक गणराज्य की मरकार के बीच सम्पन्न सल्यन ग्रिभिसम्य, 27 मई, 1992 को उक्त प्रभिसमय के अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 1 द्वारा यथा-प्रभेक्षित श्रनुममर्थन के दस्ता- वेजों के श्रादान-पदान के पश्वान लाग हो गया है;

न्न अब, आयकर श्रिजिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनदद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त स्रभिसमय के सभी उपवन्धों को भारत संघ में प्रभावी बनाया जाए।

ग्रनलग्नक

भ्रार पर करो के सबध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के श्रपबचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच श्रभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार

तभा

बाग्लादेण लोक गणराज्य की

सरकार

न्नाय पर करो के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजरब के श्रपवंचन को रोकने के लिए एक ग्रभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा में नीचे सिखे श्रपुसार सहमत हुई है :

#### ग्रध्याय-र्

#### ग्रभिसमय का विषय-क्षेत्र

# ग्रन्**च्छेद-1**

# वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह भिभसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदा-कारी राज्यों में से किसी एक श्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

# श्रनुच्छेद 2

#### श्रिभसमय के धन्तर्गत भाने वाले कर

- (1) यह प्रभित्तनय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे निम्नलिखित हैं:—→
  - (क) भारत के मामले में:
    - (i) भ्रायकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई भी भ्रधिभार शामिल है ;
    - (ii) ग्रधिकर, ( जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है) ;
  - (ख) बांग्लादेश के मामने में श्रायकर

(जिमे इसके बाद "बांग्लादेश कर" कहा गया है )।

(2) यह ग्रभिसमय किन्हीं समरूप ग्रथवा पर्याप्त रूप में एक समान उन करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, पैरा 1 में उन्लिखित करों के भ्रतिरिक्त, श्रथवा उनके स्थान पर, वर्तमान ग्रभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ग्रपने-श्रपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे की भ्रधिसुचित करेंगे।

#### ग्रध्याय -II

परिभाषाएं

#### ग्रन्च्छेद 3

#### सामान्य परिभाषाएं

- (1) इस ग्रभिसमय में, जब तक विषयगत पाठ में ग्रन्थण ग्रपेक्षिन नहीं हो :
  - (क) ''बांग्लादेश'' शब्द मे बांग्लादेश लोक गणराज्य श्रभिप्रेत है ;
  - (ख) "भारत" मन्द से भारत गणराज्य ध्रभिप्रेत है;
  - (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से श्रिभिप्राय, विषयगत पाठ की अपेका के धनुसार बांग्लावेश अथवा भारत अभिप्रेत है;

- (घ) ''कर'' शब्द से विषयगत पाठ की श्रपेक्षा के भानुसार बांग्लादेश कर श्रथवा भाग्तीय कर श्रभि-प्रेत है ;
- (ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित संविदा-कारी राज्यों के प्रवर्तमान कराधान कानुनों के प्रधीन एक कर-योग्य एकक के रूप में समझा जाता है ;
- (च) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसी कम्पनी, निगमित निकाय श्रथवा कोई श्रन्य सत्ता श्रभिप्रेत है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में मानी जाती है;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" तथा "दूमरे संविदाकारी राज्य का निवासी" णब्दों से विषयगत पाठ की ध्रपेक्षा के ध्रनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति ग्रभिप्रेत है, जो बांग्लादेश का निवासी है ग्रथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो भारत का निवासी है;
- (ज) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" णब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिन्नेत हैं;
- (झ) "राष्ट्रिक" शब्द से संबंधित संविदाकरी राज्यों की राष्ट्रिकता प्राप्त सभी व्यष्टि तथा सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्थाएं ग्रभिप्रेत हैं, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों मे प्रवृत्त कान्तों से इस प्रकार की श्रपनी हैसियन रखते हैं :
- (ञ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से बांग्लादेश के मामले में ग्रभिप्रेत है—-राष्ट्रीय राजस्य बोर्ड ग्रथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में ग्रभिप्रेत है—केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) श्रथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ट) "ग्रन्तरराष्ट्रीय यातायान" शब्दों का श्रभिप्राय किसी ऐसे जलयान श्रथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से हैं, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किया जाता हो, सिवाए इसके कि जब उक्त जलयान श्रथवा वायु-यान दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के वीच ही चलाया जाना हो ;
- 2. जहां तक किसी संविद्याकारी राज्य द्वारा इस ग्रभिसमय को लागू किए जाने के संबंध है, किसी गब्द का, जो इसमें श्रन्यथा परिभाषित नहीं हुन्ना हो, श्रर्थ विषयगत पाठ के श्रनुसार श्रन्यथा श्रपेक्षित नहीं होने पर वही श्रर्थ होगा जो उस संविद्याकारी राज्य के उन करों में संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ हों, जिन पर यह श्रभिसमय लागू होता है।

# ग्रनुच्छेव 4

#### निवासी

- (1) इस भ्रभिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संवि-दाकारी राज्य का निवासी" मन्दों से भ्रभिप्रेत हैं — ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के ग्रध्यवीन उसके श्रधिवास, निवास, प्रबंध स्थान ग्रथवा इससे मिलती-जुलती किसी ग्रन्थ कसौटी के कारण कर लगाया जाना ग्रपेक्षित हो।
- (2) जहां पैरा (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविधाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसके मामले का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के श्रनुसार किया जाएगा:
  - (क) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसमें उसके पास कोई स्थाई गृह उप-लब्ध हो। यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और ग्राधिक संबंध घनिष्ठतर है (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
  - (ख) जिस संविद्याकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो, प्रथवा यदि उसके पास दोनों में से किसी भी संविद्याकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई ज्यावहारिक ग्रावाम हो;
  - (ग) यदि उसका कोई ब्यावहारिक भ्रावास दोनों संविदाकारी राज्यों में है भ्रथवा उनमे से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;
  - (घ) यदि वह दोनों मंबिदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है ग्रथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो मंबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर महमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।
- 3. जहां पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण से, किसी ठपष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

# म्रन<del>ुष</del>्छेद 5

#### स्थायी संस्थापन

(1) इस ग्रिभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार का वह एक निष्चित स्थान भ्रिभिश्रेत है, अहां उक्त उद्धम का पारोधार पूर्णतः भ्रयक्षा श्रंणतः चलाया जाता है।

- (2) "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :
  - (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
  - (ख) कोई लाखा;
  - (ग) कोई कार्यालय;
  - (घ) कोई कारखान।;
  - (इः) कोई कर्मशाला;
  - (च) कोई भांडागार;
  - (छ) कोई खान, कोई खवान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई श्रन्य स्थान ;
  - (ज) कोई भवन-स्थल प्रयवा कोई निर्माण प्रथवा कोई एसेम्बली परियोजना प्रथवा इससे मिलता-जुलता कोई संस्थापन, जो 183 दिन से प्रधिक प्रविध के लिए विद्यमान हो।
- (3) ''स्थायी संस्थापन'' शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:
  - (क) उद्यम के माल प्रयवा वाणिज्य वस्तुमों के केवल भंडारण ग्रथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधामों का उपयोग ;
  - (ख) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य वस्तुओं के किसी स्टाक के माल भंडरिण अथवा प्रदर्णन के प्रयो-जनार्थ रख-रखाव ;
  - (ग) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य-वस्तुओं के किसी स्टाक का किसी भ्रत्य उद्यम द्वारा संमाधित किए जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
  - (घ) उद्यम के लिए मान अथवा वाणिज्य-वस्तुओं का कप करने अथवा उनके बारे में सूचना संगृहीत करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाय ;
  - (ङ) उद्यम के लिए विज्ञापन देने, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों अथवा इसमे मिलते-जुलते कार्यकलापों के अनन्य प्रयोजनार्थ, जो उस उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव।
- (4) पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद जहां कोई व्यक्ति—जो किसी स्वतंत्र हैंसियत के किसी ग्रिभिक्ती से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएं लागू होती हैं—एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो ऐसे मामले में उस उद्यम का प्रथमोक्त राज्य में एक स्थायी संस्थापन स्थित होना माना जाएगा, यदि—
  - (क) वह उद्यम के लिए प्रथमा उसकी ओर में प्रथमोक्त शक्य में मंबिदाएं निष्पन्न करने का एक धाम प्राधिकार रखना हो तथा ब्यावहारिक रूप से ऐसे

- प्राधिकार का उपयोग करता हो, यदि उसके कार्य-कलाप उस उद्यम के लिए माल अथया पण्यों के क्रय तक ही सीमित नहीं हों; अथवा
- (ख) वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से उद्यम के माल श्रथवा पण्यों का एक ऐसा स्टाक रखता हो, जिससे वह व्यक्ति उद्यम के लिए श्रथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल श्रथवा पण्यों की डिलीवरी करता रहता है; श्रथवा
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप में ग्रथवा लगभग पूर्ण रूप से स्वयं उद्यम के लिए ग्रथवा ऐसे उद्यम ग्रथवा ग्रन्य उद्यमों के लिए व्यावहारिक रूप में ग्रार्डर प्राप्त करता रहता है, जो उसके द्वारा नियंत्रित होते है, ग्रथवा जो उस पर नियंत्रण संबंधी हित रखते हैं।
- 5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्था-पन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, साँमान्य कमीशन एजेन्ट ग्रथवा स्वतंत्र हैं सियत वाले किसी ग्रन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां पर ऐसे व्यक्ति ग्रपने सामान्य कारोबार के ग्रन्तर्गत कार्य कर रहे हों और उनके कार्यकलाप ऊपर पैराग्राफ (4) (ग) के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं ग्राते हों।
- 6. इस तथ्य से ही कि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है ग्रथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, ग्रथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ग्रथवा ग्रन्थथा) मे कारोबार चलाती है, तो उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नही बन जाएगी।
- 7. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन समझा जाएगा, यदि वह दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐसा कारोबार करता हो, जिसमें लोक मनोरंजनकर्त्ताओं (जैसे रंगमंच, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्णन के कलाकार और संगीत-कार) अथवा खिलाडियों की सेवाएं प्रदान करना शामिल हो बणतें ऐसी सेवाएं दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा सम्मत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के अंतर्गन नहीं आती हों।

#### श्रध्याय-III

श्राय का कराधान

ग्रन्च्छेद 6

श्रचल सम्पत्ति से ग्राय

(1) श्रचल मम्पत्ति से ग्राय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

- (2) "प्रचल संपत्ति" शब्द की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य के कान्नों तथा प्रथा (जो विधि का बल रखती
  हो) के प्रनुसार की जाएगी, जिस राज्य मे विषयगत सम्पत्ति
  स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल
  होंगे— प्रचल सम्पत्ति के उप-माधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि
  में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, वन-सम्पत्ति तथा मत्स्य—पालन,
  ऐसे ग्रधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के भू-सम्पत्ति
  संबंधी सामान्य कान्नों के उपबंध लागू होते हों, भ्रचल
  मम्पत्ति को भोगने के श्रधिकार, खनिज भंडार, स्रोत तथा
  भ्रन्य प्राकृतिक संसाधनों के मंचालन अथवा संचालन-ग्रधिकार
  के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय श्रथवा नकद प्रथवा वस्तुरूप में नियत श्रदायिगयों के प्रधिकार, जलयानों तथा वायुयानों को श्रचल सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।
- (3) पैराग्राफ (1) के उपबंध श्रवल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराए पर देने श्रथवा किसी ग्रन्थ प्रकार के उपयोग होने वाली ग्राय पर लागृ होंगे।
- (4) पैराग्राफ (1) और (3) के उपबंध किसी उद्यम की श्रचल सम्पत्ति से प्राप्त श्राय के साथ-माथ स्वतंत्र ब्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाई गई अचल सम्पत्ति से प्राप्त श्राय पर भी लागू होंगे।

# घनुच्छेद ७

#### कारोबार से लाभ

- (1) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा, जब तक बहु उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार में कारोबार करता हो तो उक्त उद्यम के उतने लाभों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिनने स्थायी मंस्थायन के कारण उत्पन्न हुए हों।
- (2) जहां किसी संविद्याकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविद्याकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह समस्य अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों के अंतर्गत समस्य अथवा एक-समान कार्यकलापों में लगा हुन्ना एक निर्दिष्ट तथा अलग होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से ब्यापार करना होता। किसी भी हालत में, जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना ग्रसंभव हो अथवा उसके निर्धारण में अलाधारण कठिनाइया उत्पन्न होती हो, तो ऐसे मामले में उस स्थायी सस्थापन के कारण उत्पन्न लाभां का आकलन एक उचित अधार पर किया जाना चाहिए।

- (3) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां उक्त स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा श्रन्यव्व, लेकिन इसमें वे व्यय शामिल नहीं होंगे जिन्हें जिस राज्य में उद्यम स्थित हैं, उस राज्य के कानूनों के स्रमुमार कटौती किये जाने की श्रमुमित नहीं दी गयी हो।
- (4) जहा किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाओं को उसके विभिन्न अंगों के प्रित्त अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी मस्थापन के कारण उत्पन्न लाओं को तय करने की कोई प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) को कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी परम्परागत अनुभाजन पद्धति से, कराधेय लाओं को तय करने से नहीं रोजेगी तथापि अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।
- (5) कोई भी लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल भ्रथवा वाणिज्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं।
- (6) पूर्ववर्ती पैराग्राकों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं।
- (7) जहां लाभो में ग्राय की वे मदें भी शामिल हों, जिनका विवेचन इस ग्रिभसमय के ग्रन्थ अनुच्छेदों में श्रलग मे किया गया है, ऐसे मामलों मे उन ग्रनुच्छेदों के उपबंध इस ग्रनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

# ग्रनुच्छेद 8 जार प्रतिस्टर

#### वाय्-परिवहन

- (1) किसी सिवदाकारी राज्य के किसी उद्यसद्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-संचालन से प्राप्त लाभों पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।
- (2) इसी प्रकार वायु परिवहन में कार्यरत उद्यमों द्वारा किसी भी पूल में भागीदारी में प्राप्त श्राय पर पैरा (1) के प्रावधान भी लागू होंगे।

# श्रनुष्छेद 9

#### जहाजरानी

(1) एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में भ्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान - संचालन से हुई श्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, लेकिन उक्त दूसरे राज्य में ऐसी श्राय पर लगाये जाने वाले कर की राशि को घटाकर, ऐसे कर की 50 प्रतिशत राशि के समजुल्य कर दिया जायेगा।

(2) पैराग्राफ (1) के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेन्सी में भागीदारी से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

# अनुच्छेद 10

#### सम्बद्ध उद्यम

জন্তা—–

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण श्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः श्रथवा ग्रप्रत्यक्षतः भाग लेता है; ग्रथवा
- (ख) वही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः ग्रथवा श्रप्रत्यक्षतः एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण श्रथवा पूंजी में भाग लेते है;

और दोनों में से किसी भी श्रवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके विणिज्यक श्रथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी मतें रखी जाती हैं श्रथवा लगायी जाती हैं, जो उन मतों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो ऐसे मामने में ऐसे किन्हीं भी लाभों को, जो उन मतों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होने, किन्तु उन मतों के कारण प्राप्त नहीं हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जीएगा और वे तदनुसार कराधेय होंगे।

# म्रनुष्छेद 11

#### लाभाग

- (1) एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी का भ्रदा किए गए लाभांण उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
- (2) तथापि, इस प्रकार के लाभांण उस संविदाकारी राज्य में तथा उक्त संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनु-मार भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांग खदा करने वाली कंपनी निवासी है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभ-भोगी स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से ख्रिधिक नहीं होना चाहिए:—
  - (क) लभाशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि लाभभोगी स्वामी एक कम्पनी है जो लाभांश अदा करने बाली कम्पनी की पृंजी में प्रत्यक्षतया कम-से-कम 10 प्रतिशत शेयर रखती है;

(ख) श्रन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों, जिनसे लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, पर कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (3) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय, ऐसे शेयरों, खनन शेयरों, संस्थापक के शेयरों प्रथवा अन्य अधिकारों से जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में सहभागी हों, प्राप्त श्राय के साथ-साथ श्रन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त श्राय से हैं, जिस पर शेयरों से प्राप्त श्राय पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
- (4) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांगों का हिनभोगी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांग ग्रदा करने वाली कम्पनी निवसी है ग्रथवा उक्त दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाएं प्रदान करता है, और जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापना ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी क्ष्य से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथास्थिति ग्रनु-च्छेद 7 ग्रथवा ग्रनुच्छेद 15, के उपबंध लागू होगे।
- (5) जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां उस कंपनी द्वारा ग्रदा किए गए लाभांशों पर, जहां तक कि ऐसे लाभांगों को छोड़कर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किए गए हो ग्रथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांगों की ग्रदायगी की जाती है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी हुए से सम्बद्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के ग्रवित-रित लाभों पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे ग्रदा किए गए लाभांग ग्रथवा ग्रवित-रित लाभ पूर्णतः ग्रथवा अंगतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा ग्राय के रूप में ही हों।

# म्रनुच्छेद 12

#### ब्यान

(1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते वाले सथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किए जाने वाल क्याज पर मूमरे गंबिदाकारी राज्य में कर लगेगा।

- (2) तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर कर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, किन्सु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगी स्वामी हो, तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।
  - (3) पैराग्राफ (2) के उपबंधों के बावजूद:
  - (क) भारत में उद्भूत होने वाले ब्याज पर, जो बांग्लादेश की सरकार श्रथवा बांग्लादेश बैक की श्रदा किया गया हो, भारतीय कर से छूट होगी;
- (ख) बांग्ला देश में उद्भूत होने वाले क्याज पर, जो भारत सरकार श्रथवा भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रदा किया गया हो, बाग्लादेश कर से छूट होगी। दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक
- दाना सावदाकार। राज्या क सक्षम प्राधिकारा पारस्पारक सहमति से ऐसी कोई ग्रन्थ संस्था निर्धारित कर सकते हैं, जिसपर यह पैराग्नाफ लागू होगा।
- (4) इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अभिप्राय ऐसे सभी प्रकार के ऋण-वावों से, चाहे वे बन्धक के रूप में आरक्षित रखे गये हों अथवा नहीं और शाहे उसके बारे में कर्जवार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, प्राप्त आय से, और विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली श्राय और वन्ध-पत्नों श्रभवा ऋण-पत्नों से, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंन्ध-पत्नों अथवा ऋण-पत्नों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से प्राप्त श्राय भी शामिल है, प्राप्त श्राय से है, देर से की गयी श्रदायगी के लिए लगाए, गए श्रथं-वन्ड को इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (5) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध इस स्थिति में लागृ नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभोगी स्थामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य का जिनमें ब्याज उत्पन्न हुग्रा हो, उसमें स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार चलाता हो प्रथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत मेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋग-दावें के बारे में ब्याज ग्रदा किया गया वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से मम्बन्धित हो। इस प्रकार के मामले में, यथास्थिति ग्रनुच्छेद 7 ग्रथवा ग्रनुच्छेद 15 के उपबंध, लागू होंगे।
- (6) किसी संविदाकारी रज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुन्ना माना जाएगा, यदि ब्याज ग्रदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उक्त राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण ग्रथबा कोई निवासी हो किन्, जहां ब्याज ग्रदा करने वाले व्यक्ति गा, बाहै वह किमी संविदाकारी राज्य का निवासी हो ग्रथबा नहीं हों, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थावी

मंस्थापन है श्रथवा ऐमा कोई नियन रथान है, निमके संबंध में यह ऋण लिया गया या और जिस पर क्याज की श्रदायगी की गयी थी, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन श्रथवा नियत स्थान द्वारा वहन किया जीता है तब बह क्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उस स्थायी संस्थापन श्रथवा नियत स्थान स्थित है।

(7) जहां ब्याज अदा करने वाले तथा लाभभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उसकी श्रदायगी की जाती है, ब्याज की उस रकम से बढ़ जाती है जो ब्याज श्रदा करने वाले और लाभभोगी स्वामी के द्वारा ऐसे संबंध के न होने पर तय की गई होती तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-र्वाणत रकन पर लागू होंगे। ऐसे मामले में श्रदायगियों के अतिरिक्त भाग पर, इस श्रभिसमय के श्रन्य उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कान्तों के श्रत्युत्वार कर लगेगा।

# ग्रनुष्छेद 13

#### रायस्टियां

- (1) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को भ्रदा की गई रायस्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।
- (2) तथापि, ऐसी रागिल्टयों पर उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें वे उद्भत होती है और एम संविदाकारी राज्य के कानृनों के अनुसार भी कर लगेशा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायिल्टयों का हिसभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायिल्टगों की मकल रकम के 10 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा ।
- (3) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायित्यां" शब्द से, साहित्यक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियो, जिनमें रेडियो अथवा दूरदर्णन से प्रसारण के लिए प्रयुक्त किये जाने वालं। अलचित्र-पिरूम अथवा फिरमें अथवा टेपें शामिल हैं, कोई पेटेन्ट ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग करने के लिए अथवा प्रयोगिधिकार के एक प्रतिफल के छप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगिधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्राप्त किया प्रकार का अद्यापियां अभिन्नेत हैं, परन्तु इसमें खनिज भण्डारों, स्रोतों के खनन तथा अन्य नैस्पिक संसाधनों के संबंध में प्राप्त विस्तं, प्रकार का अदायिग की अदायिग्यां प्राप्त एटी है।
- (1) पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होने यदि रायस्टियों का डितभोगं: रवामी, जो एक संविदाकारा राज्य का निवासा है, दूसरे संविदाकारी

- राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसमें रायित्यां उद्भूत होती हैं या वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयिवतक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस श्रिधिकार या सम्पत्ति के संबंध में रायित्यां श्रदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से यंबंधित हैं। ऐसे मामले में श्रनुच्छेद 7 श्रथवा श्रनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थित हो, लागू होगे।
- (5) रायित्यां एक संविद्यां राज्य में उद्भूत हुई माना जाएंगी जब ध्रवा करने वाला स्वयं यह राज्य, उस संविद्याकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उस गाज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायित्यां ध्रदा करने वाले व्यक्ति का, बाहे वह किसो संविद्याकारी राज्य का निवासी हो प्रथवा नहीं हो, किसी संविद्याकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन ध्रथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध मे रायित्यों की प्रदायगी का दायित्य उपगत था और ऐसी रायित्यां ऐसे स्थायी संस्थापन था निश्चित स्थान द्वारा वहन को जाती है तग एसी रायित्यां उस संविद्याकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन था निश्चित स्थान संस्थापन था निश्चित स्थान संस्थापन या निश्चित स्थान हिंसी रायित्यां राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी
- (6) जहां प्रवाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच प्रथवा उन दोनो तथा किसी ग्रन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टयों की रकम, प्रयोग, ग्रिधकार ग्रथवा मृचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह ग्रदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में ग्रदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, तो ऐसे मामले में ग्रनुच्छेद के उपबंध केवल ग्रन्तिम—विणित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में ग्रदायिगयों के ग्रतिरक्त भाग पर, इस ग्रभसमय के ग्रन्य, उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक संविद्याकारी राज्य के कानूनों के ग्रनुसार कर लगेगा।

# श्रनुच्छेद 14

# पूंजीसत अभिलाभ

- (1) पैराग्राफ (3) के उपबंधों के ग्रध्यधीन रहते हुए, संविदाकारी राज्यों के संबंधित कर-कानृनों के अंतर्गत यथा परिभाषित किसी पृंजीगत परिसम्पत्ति को बिकी, वितिमय ग्रथवा ग्रन्तरण से उद्भृत होने वाले पूंजीगत ग्रामिन लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसमें ऐसा बिकी, वितिमय ग्रथवा ग्रन्तरण के समय पूंजीगत परिसमितिक स्थित हो ।
- (2) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी कंपनी के शेयरों का स्थिति उस संविदाकारी राज्य में समझी जाएगी जिसमें कि उक्त कंपनी निश्मित है।
- (3) किसा संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा श्रन्तरराष्ट्रं,य यानायात में परिचालित किसी जलयान श्रथवा वायुयान के रूप में किसी पृजागत परिसम्पन्ति की बिकी, विनिध्य अथवा अन्त्राण से प्राप्त होने बाला पृंजीगत श्रभिलाभ केवल उस संविद्याकारी राज्य में कराधेय होगा।

### श्रन्च्छेद 15

### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- (1) एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं श्रथवा किसी स्वतंत्र स्वरूप के श्रन्थ कार्यकलापो के संबंध में प्राप्त आय केवल उस संविद्याकारी राज्य में कराधेय होगी। परन्तु ऐसी आय पर दूसरे संविद्याकारी राज्य में भी कर लगेगा, यदि:
  - (क) उसे भ्रपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूतरे संविदाकारो राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में भ्राय की उतनी रकम पर कर लगेगा जो कि उस निश्चित स्थान से उदभृत हुई मार्ना जा सकती है: भ्रथवा
  - (ख) वह दसरे संविदाकारी राज्य में, विगत वर्ष में अथवा उम रूमरे संविदाकारी राज्य के संबंधित ग्राय-वर्ष से कुल 120 दिन की ग्रवधि भ्रथवा ग्रविधों के लिए मौजूदा रहा हो।
- (2) "ध्यावमायिक सेवाएं" पद मे विशेष प्ररूप मे स्वतंत्र वैज्ञानिक, माहित्यिक, कलात्मक, गौक्षिक स्रथवा स्रध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, गल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इन्जीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सके तथा लेखापालों के स्वतन्न कार्यकलाप गामिल है।

# श्रात्च्छेद 16

# पराश्चित वैयक्तिक सेवाएं

- (1) अनुच्छेद 17, 19 तथा 20 के उन्नंधों हे प्रध्य-धीन रहते हु?, एक मित्रदाकारी राज्य के किनी निवासी द्वारा किसी नियोजन के मंबंध में प्राप्त बेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी संविद्याकारी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे सविद्याकारी राज्य में नहीं किया जाता है। यदि इस प्रकार नियोजन किना जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में कर लगेगा।
- (2) पैराग्राफ (1) के उपबंधों के होते हुए भी, एवा संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविद्याकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारि-श्रमिक पर केवल प्रथमोलिनखिन राज्य में ही कर लगेगा, यदि
  - (क) वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में "विशत वर्ष" प्रथवा संबंधित "ग्राय वर्ष" के दौरान कुल 183 दिनों से ग्रनधिक की ग्रवधि ग्रथवा ग्रवधियों के लिए मौजूद रहा हां ग्रथवा वह उस दूसरे संविद्धाकारी राज्य में किसी ऐसी ग्रवधि के लिए मौजूद रहा हो जो कि, उस सम्पूर्ण ग्रवधि के दौरान

- जिसमें वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा है, 183 दिनों से श्रधिक की लगातार श्रवधि का एक भाग है; तथा
- (ख) पारिश्रमिक की श्रदायगी किसी ऐसे नियोजक द्वारा श्रयवा उसकी श्रोर से की जाती है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; तथा
- (ग) किसी स्थायी संस्थायन के श्रिभिलाभों में से, जिन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उद्ग्र-हणीय होता है, पारिश्रमिक की कटौती महीं की जाती है।
- (3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंधों के रहते हुए भी, एक संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम हारा श्रन्तरराष्ट्रीय यातायास में परिचालित किसी जलयान श्रथवा वायुयान में निष्पादित वैयक्तिक सेवाश्रों के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस संविद्याकारी राज्य में कर लगेगा।

# ग्रमुच्छेद 17

#### निदेशक की फीस

एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे संविद्याकारी राज्य की एक निवासी है, निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से प्राप्त निदे-शक की फीस तथा उससे मिलनी-जुलती किस्म की ब्रदाय-गियों पर कर केवल उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में लगेगा।

# ग्रनुच्छेद 18

#### मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

- (1) श्रमुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनो-रंजनकर्ता, जसे कि किसी थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूर-दर्णन कलाकार या संगीतकार श्रथवा एक खिलाड़ी के रूप में दमरे मंदिदाकारी राज्य मे किये गये इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त श्राय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।
- (2) जहां किसी मनोरंजनकर्ता प्रथवा किसी खिलाड़ी हाना ग्रानो उस प्रकार की हैसियत से किये गये वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त ग्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो ग्रापितु किसी ग्रान्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले में उस ग्राय पर, ग्रानुच्छेष 7, 15 तथा 16 के उनवधी के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उक्त मनीरजनकर्ता ग्राथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते है।

(3) मनोरंजावार्ग क्या विलाधियों होता एक संविद्याकारी राज्य में लिएपादित कार्यकलापों में प्राप्त पार्ति श्रमिक अथवा लानों, वंतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार का स्राय पर पंराथाक (1) वधा (2) के उत्यव तान गुणे होंने यदि उनके हारा उस राज्य के किए पए दौरे के खर्चे को दूसरे संविद्याकारी राज्य की लोक निधियों, जिनमें उसके किमी राजनैतिक उप-रभाग कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय की लोक निधिया भी णामिल है, से पर्याप्त स्प से पूरा किया जाता है सीर न ही ये उपबंध ऐसे कार्य कलाणों के सबंध में लाभ नहीं कमाने वाल किमी सगटन हारा प्राप्त श्राय पर लाग होंगे बणतें इसकी अप का कोई भाग इसके मालिकों, सदस्यों अथवा जैयर-धारकों को न तो सदेय हो अथवा व्यक्तियत लाभ के लिए श्रन्यथा उपलब्ध हो।

-\_ \_ -

# ग्रमुच्छेद 19

#### गैर-मरकारी पेंजन

- (1) एक संविद्याकारी राज्य के भीतर स्रोतों से किसी ऐसे व्यक्टि जो दूसरे संविद्याकारी राज्य का निवासी है, हारा प्राप्त कोई पेंगत, जो उस पेंगत से भिन्न हो, जिस पर अन्- च्छेद 20 का पराग्राफ (1) लागू होता है, तथा व्यक्ति पर कर जेवल प्रथमोल्लिखित सविद्याकारी राज्य से लगेरा ।
- (2) अनुच्छेद 20 में तथा इस अनुच्छेद में प्रथाप्रयुक्त "पेंशन" शब्द से, की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में की गई आवधिक अराजिजिया अथवा सेवाओं के दौरान लगी चोटों के लिए मुखाबने के तौर पर की गई आवधिक अराजिगिया अभिप्रेत है।
- (3) पेराग्राफ (1) मे यथाप्रयुक्त "वार्षिकी" जब्द मे, जीवनकाल मे अथवा किमी विनिद्धित्य या निज्वेय समयाविधि के दौरान धनराजि अथवा उसके बरावर मन्द्र में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिकल की अदायगी करने के उकरार के अन्तर्गत आविधिक रूप में निज्वित सहय पर अदायगी-योग्य एक निज्वित राजि अभियेश है।

# धन्च्छेद ३॥

#### सरकारी पारिश्रमिक तथा पेणन

(1) विसी संविद्कारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उत-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उसकी निधियों से किसी व्यक्टिको, जो उन सविद्यानारी राज्य का नागरिक है, उस सविद्यानारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी सर्वारी रहरूर के कार्यों के निष्पादन में की गई सेवाओं के संबंध में, प्रदन्त पारिश्विक्षर पर, जिसमें पेणन भी णामिल है, केवल उस राज्य में कर लगेगा।

(2) दोनों संविदाकारी राज्यों में से कि ती भी संविदाकारी राज्य की सरकार श्रयंवा उनके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अववा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लाम के अयोज--ार्थ किये गये किसी व्यापार के सिलमिले में की मई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर पेराग्राफ (1) -के उपबंध लाग नहीं होंगे।

(3) इस अनुच्छेद के पैरासक (1) के उपबंध भारतीय रिजव बैक तथा बांगलादेश बैक ब्रास प्रदस पारिश्रमिक पर भी, जिसमे पेंणन भी शामिल है, लाग् होंगे।

# श्रमुच्छेद 21

# विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रशिक्ष्

- (1) कोई व्यष्टि, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में अस्थायी तीर में माल-
  - (क) दूसरे संविधकारी राज्य में किनी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय श्रयवा श्रन्य शैक्षणिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में; अथवा
  - (ख) प्रथमोल्लिखित संविद्याक्षारी राज्य के किसी उपम के किसी स्थायी संस्थापन से भिन्त किसी संस्टन में एक व्यवसायी अथवा तकतीकी प्रशिक्ष के रूप में; अथवा
  - (ग) विश्वी धार्मिक, धर्मार्थ, वेज्ञानिक प्रयवा ग्रेक्षणिक संगठन ने अध्ययन अथेवा अनुसंधान के मूल प्रयोजन के लिए किसी अनुसान, भत्ता भयवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में

मीजूद रहा हो, उसे छम दूसरे म्विदाकारी राज्य में निम्त-लिखिन के मंबंध में कर से छूट प्राप्त होगी---

- (1) खूट की अधिकानम पांच वर्षों की अवधि के लिए, उसके भरण-पांचण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशों से प्राप्त रकसों पर:
- (2) अनुदान भना अथवा पुरस्कार; तथा
- (3) उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे 'विगत वर्ष' अथवा ''श्राय वर्ष'' जैसी भी स्थिति हो, के दौरान कि शी नियोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रतिवर्ष 15,000/- राए में अनिधिक की कोई र शि अथवा, बांग्लादेश की मुद्रा में उसके सम्भुल्य रक्त पर, यदि ऐसा नियोजन उसके अध्यक्षन अथवा, उसके प्रशिक्षण में संबद्ध हो अथवा यदि उसके भरण-पोषण के लिए यह श्रावश्यक हो।
- (2) कोई व्यप्टि, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, प्रथमोल्निखन संविदाकारी राज्य के निक्षी उद्यम अथवा पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित किसी संगठन के एक कर्मचारी के रूप

2271 GT/92-2

में प्रयवा भरार के प्रधीन, एकं वर्ष से अनिधवः की अविध के लिए ऐंगे उद्यम प्रथवा संगठन में भिन्न किमी व्यक्ति में मात तकनीकी, व्यावमायिक अथवा व्यापार मंबंधी प्रनुभव प्राणित करने के लिए अस्थायी तौर से मौजूद रहता है तो छपे. ऐसी अविध के लिए अपनीं सेवाओं के लिए, जो इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः मंबढ़ है, प्राप्त पारिश्रमिक पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्तनी रक्षम तक कर से छूट प्राप्त होगी ताकि ऐसे पारिश्र-मिक की नक्षम "विगतवर्ष" अथवा "आय वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, के दौरान प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की रक्षम अथवा बांग्लादेश की मुद्रा में इसके समसुरुय रक्षम से अधिक नहीं हो।

(3) कोई व्यप्टि, जो एकं मंनिदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे मंनिदाकारी राज्य में, उस दूसरे संनिदाकारी राज्य में, उस दूसरे संनिदाकारी राज्य की मरकार प्रथवा उसकी किसी एजेंसी के साथ हुई प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण, प्रध्ययन प्रथवा नवा- किमुखीकरण के प्रयोजनार्थ श्रस्थाई तीर से मौजूद रहा हो तो छसे उस दूसरे मंनिदाकारी राज्य में ऐसे प्रशिक्षण, श्रध्ययन श्रयवा नवाभिमुखीकरण के कारण उसके द्वारा प्राप्त पारिश्व- मिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी।

# श्र**नु**च्छेद 22

# प्राध्यापक, ग्रध्यापक तथा गोधित

- (1) फिसी प्राध्यापक प्रथवा किसी प्रध्यापक को, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्रथवा उस मंविदाकारी राज्य की श्रन्य मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापत-कार्य के श्रथवा शोध-कार्य के प्रयोज-नार्थ श्रयवा दोनों के लिए, एकं संविदाकारी राज्य का दौरा करता है तथा ऐसे दौरे के तत्काल पहले वह दूसरे मंविदाकारी राज्य का एकं तिवासी है श्रथवा था, उसके उस मंविदाकारी राज्य में श्राममन की नारीख से दो वर्षों से श्रनधिक की श्रविद्य के लिए ऐसे श्रध्यापत-कार्य श्रथवा शोध-कार्य के लिए प्राप्त किसी प्रकार के पारिश्वमिक पर प्रथमोलिनखित सविद्याकारी राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी।
- (2) यह ग्रनुष्छेद उस मोध-कार्य से प्रःष्त ग्राय पर लागू नहीं होना यदि ऐसा गोध-कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष ग्रथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो।
- (3) इस अनुःछेद तथा अनुःछेद 21 के प्रयोजनार्थ विःसी व्यंष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थित में समझा जाएगा यदि वह "विगत वर्ष अथवा "आय वर्ष" जिस में वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करना है अथवा तस्थील पूववर्ती "विगत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थित हो, उस संविदाकारी राज्य को नियासी रहा हो।
- (4) पैंशाग्राफ (1) के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त संस्था" मे ऐसी मंस्था ग्रभिप्रेत है जिसे इस मिलमिले में संबंधित संविदा-कारी ताज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तिथ्या गया है।

# प्रनुष्टेश 23

#### सरकार की तथा संस्थाओं की खाव

- (1) मिन्सि प्रानी राज्यों में में किसी एक निविध कारी राज्य को सरकार को, ऐसी करकार हारा उम दूउरे संविधकारी राज्य में प्राप्त किसे प्रकार की प्राप्त के सबंध में दूसरे सविद्याकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
- (2) इस श्रनुच्छेद े पैराग्राफ (1) र प्रयोधनार्च "सरकार" पद से--
- (क) भारत के मामते में, भारा परकार श्रीधित है और उसमें निम्नतिखा णामित होगे:--
  - (1) राज्य सरकारे तथा भारतीय सव राजा क्षेत्र;
  - (2) भारतीय रिजर्भ बैक,
  - (3) ऐसी कोई संस्था अथवा निकाम जिला लिए दो संविद्यानारी राज्यों है बीच सम्बन्धन पर सहमति हुई हो।
- (ख) बाग्लादेश के मामने में, बाग्लादेश लोक गणराज्य को सरकार प्रशिवेत हैं और उन्ने तिस्तिति णासित होंगे:—
  - (1) बांग्लादेश बैंक-
  - (2) कोई ऐसी संस्था श्रथता निकाय जिनके लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो।

# यन्•ॐद 2.4

ध्याय जिसके बारे में स्पष्टतया उत्लेख नहीं किया गया उ

प्रत्येक सविद्याकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों क अन्तर्गत संबंधित संविद्याकारी राज्यों की श्राय पर कर लगाया जाता रहेगा, सिवाय उपांगजहा इस श्रक्षितमय में इसके प्रतिकृत स्पन्ट उपगंध बनाया गया हो।

#### ग्रध्याप ४

दोहरे कराबान के अपराधरण का नरीका

# श्राच्छेद 25

दोहरे याराधान का भागा हरण

(1) भारत है किशी निकासी के महमते में दोहरे कराधान का अपाधरण निम्नप्रकार में किया जाएगा:

भारत से जिन्न किसी अप्य देश में संदेय कर को भारतीय कर के प्रति लाभ के रूप में छठ देने संबंधी भारतीय कर कानूनों के उपवन्धों के अध्यक्षीन (जो इसके सामान्य सिद्धान्त को अध्यक्षित नहीं करेगे), बांग्नादेण हे कानूनों है अवर्गा एया हा प्रशासन है अनुसार संदेय बाग्नादेण कर (जिल्लामार) के मामाने में ऐने लाभों के संबंध में संदेय कर णामिन नहीं होगा जिनमें रो

लाभाण श्रदा किया जाता है), पाम्लादक में उठा क्वें तो ने प्राप्त प्रस्त है । त्रव में तहे प्राप्त गा से श्राप्त प्रदेशे का है ति पा उपलिश्च का ना माज दोना में कर लगाया गया है, ऐसी श्राय के सबच में रादेय भारतीय कर के प्रति केडिट के रूप में प्रतुभाव होगा। नयापि, केडिट की यह राजम भारतीय कर के उपलब्ध सोतों से प्राप्त श्राप्त पर भारताय का है प्रध्यत्रीन समस्त श्राय पर लगात हो

बशर्तों कि ऐस केडिट की रक्षम उस भारतीय कर (इस प्रकार के केडिट की सनुमित दिये जाने से पूर्व सथा-सगिषत) में प्रधिक नहीं होगी जो बाग्लादेश में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त श्राय के लिए गण्चित है, तथापि यह कि जहां ऐसा निवासी कोई कपनी है जिसके द्वारा भारत में प्रतिकर सदेय है, ऐसे मामले में उपर्युवन केडिट, करनी द्वारा ज्ञारत सदेय प्रतिकर की शेष रक्षम पर, निवासी होंग ज्ञारत में स्रवास सदेय प्रतिकर की शेष रक्षम पर, निवासी होंग प्रथम वार स्रवास होगा।

- (2) पैरापाक (1) के प्रयोजनार्थ "सरेय बाग्लारेग-कर" पद में बाग्लारेग-कर की वह रक्षम भी शामित की गई मानी जाएगी जो, बाग्लारेश के कानूनों के निम्निनिधित उपबधा के प्रनुसार यदि बाग्लादेश कर की छूट नहीं दी गई हो प्रयोग उसका कम नहीं किया गया हा, सदय बनी होनी
  - (क) आयकर अध्यादेण, 1981 को धारा 29(1) का ख°ड (x), धारा 45 नश बा ा 46,
  - (ख) ग्रायकर ऋष्यादेश, 1984 की तृतीय अनुम्ची का पैराग्राफ 7.
  - (ग) ग्राप्तकर ध्रध्यादेण, 1984 की छठी ध्रमुस्ची के भाग बी के पैराग्राफ 10,11,12,13,15 तथा 22,
  - (घ) दिनाक 29 नगम्बर 1976 की प्रायमुबना सक्या एम प्रार ओ 417ए-एन. 76 के पैरायाफ (सी) (ई), (एफ), (जी) तथा (एच), तथा उक्त प्रायमुबना क पैरायाफ (ए), (बा) तथा (डी), जहा तक उनका सबध बांग्यादेश में आर्थिक विकास का बढ़ाना तने के उहेण्य में दिए गए ऋणों का छूट अभवा राहा देने का है, जहा तक वे इस प्राभित्मय पर हर्गाक्षर किये जाने का तारीख का प्रवृत्त थे तथा तब स उन्हें स्थोधित नहीं किया गया है अथा। उनमें केतन मानूलों-सा संशाक्षा किया गया है जया। उनमें केतन सानूलों-सा संशाक्षा किया गया है ताफि उसके सामान्य स्वरूप पर काई प्रभाव न पहे, प्रथवा
  - (इ) किसी अन्य उपवय के अतर्गत जिस कर से छूट प्रदान करने अवज्ञ उनमें कटौती करने के लिए बाद में बनाया जाए, जिसके लिए सर्विदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में सहमति होती है और जा काफा हद तक उसी प्रकार के स्वरूप का हा, यदि इस उसके पश्वात् संशोधित नहीं किया

गया हो अथवा उसमे मामूली-सा मशोधन किया गया हो ताकि इससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो,

लेकिन, गर्त यह है कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम निम्नलिखित से ग्रधिक नहीं हो -

- (क) लाभाशों के मामले में, श्रमुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्तिखित लामाशों के मामले में ऐसे लामाशों की सकत राशि के 10 प्रतिगत के बराबर की रकम, तथा प्रमुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभाशों के मामले में, लाभागों की सकत रकम का 15 प्रतिशत,
- (ख) ब्याज के मामलें में, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम, तथा
- (ग) रायन्टिया के मामने में, ऐसी रायन्टियों की मकल रक्तम के 10 प्रतिशत के बनाबर की रक्तम ।
- (3) बाग्लादेश के किसी निवासी के सामने में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा

बाग्लाइण म भिन्न किमी अन्य देण में सदेय कर को बाग्नादेण कर के प्रति केडिट के रूप में छूट देने सबधी बाग्नादेश के कान्नों के उपबंधा के अध्यधीन (जा इसके सामान्य सिद्धान का प्रभावित नहीं करेंगे) भारतीय कान्नों के अनुगंत तथा इस प्रभिसमय के प्रनुसार सड़व भारतीय कर (जिसमें लाभाग के मामले में ऐस लाभा के सबध में सदेय कर णामित नहीं होगा जिसमें में लाभाग अदा किया जाता है)। भारत में उपलब्ध कोतों से प्राप्त आय के सबध में बाग्नादेश के किसी नियासी द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से अध्यवा कटांती करके जिस पर भारत तथा बाग्नादेश कर लगाया गया ह, ऐसा आय के सबध म सदेय बाग्नादेश कर के प्रति केडिट के रूप में अनुमत्य हागा परन्तु वह रकम बाग्नादेश कर के उस अनुपात में अधिक नहीं हो जा कि बाग्नादेश-कर पर प्रमार्थ समन्त आय पर लगना है।

- (4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के प्रयोजनार्थ "सदय भारतीय कर" में ऐसी कोई रकम शामिल की गई समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के हप में सदय हो गई होती परन्तु उस वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए निम्तानुमार कर ने दी गई छूट अथवा उममें की गई कटार्ता के कारण ऐसा नहीं हुआ .
  - (क) निम्नालेजिन उपबाते पे से ताई भा उनबाद, अपित् आयकर अक्षिनियम, 1961 का धारा 10(4), 10(4क), 10(6) VIII (क), 10(15)(4), 10क, 32क, 33क, 35ग, 35गग, 54इ, 80गग, 80जज, 80जजक, 80क्ष, 80का, 80ठ,
  - (ख) किसी भ्रन्य उपबंध के अंतर्गत जिन कर से छूट प्रदान करने अथवा उसमें कटौती करन के लिए

बाद में बनाया जाए जिसके लिए मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में सहमित होती है और जो काफी हद तक उमी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि इसे उसके पश्चान् संशोधित नहीं किया गया हो प्रथवा उसमें मामूली-मा मंशोधन किया गया हो ताकि इसमें उसके मामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना हो।

लेकिन, सर्त यह है कि इस पैराग्राफ में जल्लिखित कर की रक्तम निम्नलिखित से श्रीधक नहीं हो :

- (क) लाभांगों के मामते में, प्रनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क्क) में उल्लिखिन लाभागों के मामले में ऐसे लाभांगों की सकल रक्षम के 10 प्रतियत के बराबर रक्षम तथा प्रनुच्छेद 11 के पैराग्राफ2 (ख) में उल्लिखित लाभांगों के मामले में लाभांगों की सकल रक्षम का 15 प्रतिशत;
  - (खा) ब्याज के मामले में, ऐसे ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम; तथा
  - (ग) रायिल्टियों के मामले में, ऐसी रायिल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम।

ग्रध्याय V विशेष उपबंध श्रनुच्छेद 26 सम-स्यवहार

- (1) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकां पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं होगा प्रथवा तत्संबंधी ऐसी कोई प्रोक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उनसे संबंधित प्रयेक्षाओं से निम्न प्रथवा धर्मक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो दूसरे राज्य के राष्ट्रिको पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान गर्ती में लाग होती हैं अथवा हो सकती है।
- (2) एक मंबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायो संस्थापन पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्ना के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने बाते कराधान में अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।
- (3) एक संविद्याकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः श्रथवा अंशतः दूसरं संविद्याकारी राज्य के एक श्रथवा एक से श्रधिक निवासियों के प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष स्वामित्व में श्रथवा नियंत्रण में हैं. प्रथमोक्त संविद्याकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान श्रथवा नत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं को जाएगी, जो उस कराधान में श्रथवा तत्संबंधी किन्हीं भी श्रपेक्षाओं से भिन्न श्रथवा श्रपेक्षाश्रह

श्रिशिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समस्प उद्यमो पर एक-समान परिस्थितियों और एक-समान शर्ती के अधीन लगाई जाती हे अथवा तगाई जा सकती है।

- (4) इस अनुच्छेद क पराम्राक (1), (2) तथा (3) में निहित किसी भी बात का श्राणय निम्नानुसार नहीं लगाया जावेगा
  - (क) एक संविद्याकारी राज्य का दूसरे संविद्याकारी राज्य के नियासियों को कोई ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहने तथा घटोतिया मजूर करने के लिए बाध्य करना, जिन्हें वह अपने स्वयं के निवासियों को मंजर करना है:
  - (ख) ऐसे प्रनियासी व्यक्तियों पर कर लगाने के संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्यों के कर कानूनों के किन्ही उपवंधों को प्रभावित करना;
  - (ग) विनिद्धित णतीं को पूरा करने वाले व्यक्तियों को कोई कर रियापनों मंजूर करने हे संबंध में संबंधित सविद्यालारी राज्यों के कर कानूनों के किन्ही उपबन्धों को प्रभावित करना।
- (5) इस अनुच्छेद में 'कराधान' सब्द का अर्थ उन करों से है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

# प्रतृष्टिश 27

# पारस्पारक करार कार्यक्रिय

- (1) जहा एक सिवसकारो राज्य का काई निवासो यह समझता है कि एक अथवा दोनों गींवराकारो राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस अकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जारिया जो इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन सिवराकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानुनो हारा उपविधान उपायों के होते हुं? से उन पिकराकारी राज्य के सक्ता प्राधिकारी की अपना मामना अस्तुत कर सकता है जिनका कि वह एक निवासों है। यह ममना कर-निर्धारण की तारीख से अथवा स्रोत पर कर को शावन की तारीख से, जो भी बाद में हो, तोन वर्ष की अर्गव के सानर अस्तुत किया जाना चाहिए।
- (2) यदि सजम प्राधिकाल का अतिहा उचित लगे और यदि वह स्वय किया समुचित हत रह पहुंचते में प्रमम्बं हो तो वह ऐसे कराधान है निवारण के दिए से, जा इस प्रभित्मय के अनुरूप नहीं है, दूर्तरे गिविशकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्थर सहमति से उस मामले को हत करते का प्रकास करेगा। हिए गए किसी भी समसीत की कार्यान्वित हिया जाएगा चाहे सिविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भा समय-फोमा अयों न हो।
- (3) यदि इस अभिसमय का व्याख्या करने में अथवा इस लागू करने में कोई कठिनाइया अपना गकाएं उत्पन्न हो, तो सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिताने उन्हें पारस्परिक

सहसित से हल करने के प्रधाप करेगे। वे उन भामलों में भी दोहरे कराबान के प्रधान के किए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हे जिनको इस ब्रांसिसका में व्यवस्था नहीं को गई हो।

(4) इस अभिन्दा उत्तया को लागू करने उपयो-जनार्थ सविदाकारी राज्या के सक्षन प्राधिकारी ए।-दूसरे वे साथ सीधे पत्र-व्यव के भारत पक्ते हैं। जहा, समझीता करने की दृष्टि से विवासों का मौश्विक आदान-प्रदान किया जाना उपयुक्त समझा जाता हो नो विचासों का ऐसा आदान-प्रदान एक सायोग ने साध्यम में किया जा सकता है जिपमें सविदाकारी राज्या ने सक्षम पाधिकारियों ने प्रतिनिधि शामिल होंगे।

# चन्च्छेद 2S

#### सुचना का ब्रादान-प्रदत्न

- (1) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का प्रादान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिममय के उपबंधों को लागू करने अथवा करों के अपनचन की रोक-याम करने अथवा उनका पता लगान प्रत्या उनके परिहार के लिए प्रावस्थक है, जो कि इस अभिगमय के विषय है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गुप्त समझा जाएगा परन्तु वह केवल ऐसे व्यक्तियों (जिसमें न्यायालय अपना प्रशासनिक निकाय भी शामिल है), को प्रकट की जाएगी जो उन करों का निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन करने प्रथवा अभियोजन की कार्याबाही से संबंधित हैं, जो इस प्रशिनमथ के विषय है, अथवा ऐसे ध्यक्तियों को प्रकट की जाएगी जिनमें वह सूचना संबंधित हैं।
- (2) सूचना का स्रादान-प्रदान या तो नेमी स्राधार पर स्रणवा मामलो-विशेष के संदर्भ में अनुरोव किए जाने पर स्रणवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर ऐसी सूचना की सूची में सहमत होगे जिसे नेमी श्राधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ (1) के उपबंधों का ग्रंथ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्मलिखित दायित्व डालना नहीं होगा.
  - (क) उस अथवा दूसरे सिवदाकारी राज्य के कानूनो अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना; भी
  - (ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूभरे सं (कारी राज्य के कानूनों के अंनर्गन प्रथ , प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
  - (ग) ऐसी सूचना को सप्लाई करना जिससे किसी व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्रयवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद ग्रथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृत है।

# यनुच्छेद 29

# वसूलों में सहार गा

- (1) दो सिवदाकारी राज्य ऐस करा की वसूकी करने में एक-दूसरे की सहायता करने और उसे समर्थन देने का जिस्सा लेते हैं जिनसे यह प्रभिसमय सर्वाबत है और यहा ये कर अनुरोध करने वाले सिवदाकारी राज्य के कान्नो के प्रतुसार निश्चित रूप में संदेय होने हैं।
- (2) दोनो सविदाकारी राज्यां में में किसी भी सविदाकारी राज्य के कर सबधी दाबा का बपूली करने के लिए जिन्हें ग्रन्सि रूप से निर्धारित किया गया हो, प्राप्त प्रतृरोध के मामते में, दूसरे सविदाकारी राज्य द्वारा जिन ग्रनुरोध किया जाता है, लागू करने के लिए स्वीकार किया जाएना तथा उस राज्य में उसके करों को लागू करने तथा उनकी बसूली करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वरों कानूनों के ग्रनुसार बसूला जाएगा।
- (3) भारतीय कर के मामते में, केन्द्राय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बिल्ल मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा बाग्तादेण लोक गणराज्य की माकार के राष्ट्रीत राजस्व वार्ड का ध्रनुरोध किया जाएगा तथा उसते साथ भारतीय कत्नो के प्रतृपार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणयत यह प्रमाणित करने के लिए संत्रक किया जाएगा कि उन्त करों को ग्रन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दानाओं की ओर बकाया हैं।
- (4) बाग्तादेश के करों के मामले में, बांग्तादेश लोक गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय राजस्व बोई द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को अनुरोध किया जाएगा तथा उसमें नाथ बांग्लादेण के कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्न यह प्रमाणित करने के लिए भेजा जाएगा कि उक्त करों को अन्तिम रूप में निर्धारित किया गया है तथा वे कर-दाताओं की ओर बकाया है।
- (5) जहां कर संबंधी कोई दावा उसके अपील के अधीन होने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण अंतिम रूप में देय नहीं बना हो तो उस मामले में एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व को मुरक्षित रखने के उद्देश्य से, दूसरे संविदा-कारी राज्य से इस संबंध में ऐसे अन्तरिम उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कामूनो के अंतर्गत विधिसंगत है।
- (6) किसी कर-दाता से संदेय करों की वस्ली किए जाने में सहायता करने के लिए श्रनुरोध केवल तभी किया जाएगा यदि श्रनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस कर-दाता से करो की वसूली किये जाने के लिए उसकी पर्याप्त परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हों।
- (7) जिस संविदाकारी राज्य में इस श्रनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) तथा (5) के श्रनुसरण में कर की वसूली की जाती है, वह राज्य उसके तत्काल पश्चात् इस प्रकार वसूल की गयी रकम को उस सविदाकारी राज्य के पास भेजेगा

जिनने इस र लिए प्रमुखेब किया था परना वह रेने कर का वस्त्रों करते में दी गयी महद र दौरान कि गए बाव है, यदि कोई हो, प्रतिपूर्त किए तुक्दार होना ।

# यत्च्छेर ३०

राजनीति और कोरका प्रतिकारी

इस अभिष्मत का किनो भी बा ने राज पित्र अथना कासलो अधिकाण्या को परारणको गानून रे साराय नियमो अधर्मा अथना निशेष प्रमित्तमत त उपन्या अ अस्तर्गत प्राप्त वित्ताय विशेषीत्र करा परकोड प्रभान नहा पड़ेगा।

यजार VI

क्रनित उत्वय

माच्छे 31

#### प्रवन्तंन

- (1) इप प्रभित्तमार को प्रतुतमारिक किया आएता त्या जिल्लो जन्दी एमभव होगा प्रतुतमारिक है दारावेओं का प्रादान-प्रदात ढाका पर किया आएगा ।
- (2) यह अभिनम्य अनुसन्धन १ वन्तावेजो १ छ। वन-प्रदान होने पर प्रवृत्त होगा तथा इसके उपबंध निम्निविखित के लिए लागू होगे:
  - (क) वाग्लादेश में, जिस वर्ष में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का भ्रादान-प्रदान किया जाता है उसके प्रगले भ्रमुवर्ती कैलैण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन को भ्रथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए; तथा
  - (ख) भारत में, जिस वर्ष में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलैण्डर पर्प में अप्रैक के प्रथा दिवा को अथवा उसके बाद आरम्भ होते वक्ष्मे किसी कर-निर्वारण वर्ष के लिए।

म्रनुच्छेद 32

#### पर्यवसान

यह ग्रमिसमय ग्रानिश्चित कात तक लागू रहेगा परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने को तारीख से पांच वर्यों को प्रविध्व की नर्नाप्ति के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसवे दिन को ग्रथवा उसके पहले, राजनियक माध्यमों से, दूमरे संविदाकारी राज्य को इसके पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसी स्थिति में यह ग्रामिसमय निम्निलिखिन के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा:

# (क) बांग्लादेश मे :

जिस वर्ष मे ऐसा नोटिप दिया जाता हे उसके अगने अनुवर्ती केलैण्डर पर्प मे जुलाई पे प्रथम दिव को सारम्य होने वाले किसी कर-निर्यारण वर्ष तथा तत्पश्वात् ते वर्षो के लिए कर-निर्धारण योग्य ग्राय के संबंध में;

# (ख) भारत मे:

जिन वर्ष में ऐसा नोटिन दिया जाता है उसके अगले अनुवर्गी केलैण्डर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले किसी निर्वारण वर्ष तथा तत्वश्यात् के वर्षों के लिए कर-निर्वारण योग्य आय के संप्रध में।

िन र साक्ष्य में, इसरे लिए, उनको संबंधित सरकारों इसर, निवित्त प्राविकृत अधोहम्नाक्षरियों ने इस अभिसमयपर इसाजर निए है।

नई दिन्ती में 27 प्रगस्त, 1991 को हिंदी, बाग्ला तथा आजो नामाम में दो-दो प्रशियों में निष्पन्त किया गया, जिसार मनी गाँउ समाना. प्रानाणिक है । अर्थनिरूपण में निस्ता हो। इ मामने में अग्रेजी पाठप्रभावी रहेगा।

ž --

ह∤.

भा तत्तर त्य का सरकार को ओर से माधव सिंह सोलको, विदेश मुंबी बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार की ओर से ए.एप.एम. मोस्ताकिजुर रहमान, विदेश मंत्री

[प्रधिस्वना स. 9986/फा.स. 501/2/72-एफटोडी] टी.एस. कृष्ण मूर्ति, सयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1992

(Income-Tax)

G.S.R. 758(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to takes on income has come into force on the 27th Mr., 19°2 after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph I of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exerc'se of the powers conferred by section 90 on the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

#### **ANNEXURE**

#### CONVENTION BETWEEN

#### THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANNCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

# THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

#### AND

# THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income HAVE AGREED as follows:

#### Chapter I

#### SCOPE OF THE CONVENTION

#### Article 1

#### PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

#### Article 2

#### TAXES COVERED

- (1) The existing taxes to which this Convention shall apply are—
  - (a) in the case of Bangladesh :
     the income tax,
     (hereinafter referred to as "Bangladesh tax");
  - (b) in the case of India:
    - (i) the income tax including any surcharge thereon:
  - (ii) the surtax;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(2) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signaure of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

#### Chapter II

#### DEFINITIONS

#### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

- (1) In this Convention, unless the context otherwise requires
  - (a) the term 'Bangladesh' means the Peo, le's Expublic of Bangladesh;
  - (b) the term "India" means the Republic of India;
  - to the terms "a Contracting State" and "the of er Contracting State" mean Bangladesh or India as the context requires:
  - (d) the term 'tax" mean. Bangladesh tax or Indian tax, as the context requires;
  - (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the tax laws in force in the respective Contracting States:
  - (f) the term "company" means any company, body corrective or my o her on ty which is treated as a company under the tax laws of the respective Contracting States;
  - (g) the terms "resident of a Contracting State" and "resident of the other Contracting State" mean a person who is a resident of Bangladesh or a person who is a resident of India. as the context requires:
  - (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting States;
  - (i) the term "nationals" means all individuals possessing the nationality of the respective Contracting States and also all legal persons, partnerships and associations deriving their status as much from the law in force in the respective Contracting States:
  - (j) the term "competent authority" means in the case of Pangladesh, the National Board of Revenue or their authorised representative and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
  - (k) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contacting State.
  - (2) As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless he context otherwise requires, have

the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

#### Article 4

#### RESIDENT

- (1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile residence, place of management or any other criterion of a similar nature.
- (2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a recident of both Contracting States, then his case shall be determined in accordance with the following rules:
  - (a) He shall be deemed to be a resident of the Confracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Confracting State with which his personal and economic relations are the closest (centre of vital interests);
  - (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
  - (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
  - (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- (3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated

#### Article 5

#### PERMANENT FSTABLISHMENT

- (1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly caried on
- (2) The term "permanent establishment" shall include especially:
  - (a) a place of management;
  - (b) a branch;
  - (c) an office:
  - (d) a factory;
  - (c) a workshop;

- (1) a warehouse
- (g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (h) a building site or construction or as embly project or the like which exists for more than 183 days.
- (3) The term "permanent establishment" half not be deemed to include:
  - (a) the use of facilities solely for the purposes of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprior
  - (b) the maintenance of a stock of good or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display,
  - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the urpose of processing by aonther enterprise;
  - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
  - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.
- (4) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other. Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State.
  - (a) he has, and habitually exercises, in the first-mentioned State a general authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or
  - (b) he habitually maintain, in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which that person regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or
  - (c) he habitually secures orders in the firstmentioned State, wholly or almost wholly, for the enterprise iself, or for the enterrrise or other enterprises which ar controlled by it or have controlling interest in it
- (5) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries or business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business and their activities do not fall within the scope of paragraph (4) (c) above.

(6) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whother through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself make either company a permanent establishment of the other

---=

(7) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) on a hiete, in that other Contracting State unless such services are provided within the scope of a cultural or sports exchange programme agreed to by both the Contracting States.

#### Chapter III

#### TAXATION OF INCOME

#### Article 6

#### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- (1) Income from immovable property shall be taxably only in the Contracting State in which such property is situated.
- (2) The term 'immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage (having the force of law) of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture forestry and fishery, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, unifrue of immovable property and rights to variable or fixed payments in cash or kind as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property
- (3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the 1 rect use, letting, or use in any other form of immovable property.
- (4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

#### **BUSINESS PROFITS**

- (1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State and so the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforestaid, then so much of the profits of the enterprise as is attributable to that permanent establishment shall be carable only in that other Contracting State.
- (2) Where an enterprise of a Contracting State carties on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall 2271 GI/92—2

- in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is mapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be computed on a reasonable basis.
- (3) In the determination of the profit, of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expense; which are incurred for the purpose of the permanent establishment including executive and general administrative expense, so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be all wild to be deducted by an enterprise of that State
- (4) It is far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment as may be customary; the method of apportionment as dopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.
- (5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- (6) For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- (7) Where profiss include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article

#### Article 8

#### AIR TRANSPORT

- (1) Profit, derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State.
- (2) The provisions of paragraph (1) shill likewise apply in respect of income derived from participation in pools of any kind by enterprise lengaged in air temporal.

#### Artale 9

#### SHIPPING

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed

in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

(2) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 10

#### ASSOCIATED ENTERPRISES

#### Where ---

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

# Article 11

#### DIVIDENDS

- (1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- (2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed;
  - (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
  - (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the ompany in respect of the profits out of which the fividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article teans income from shares, mining shares, founder's tares or other rights, not being debt-claims, particiating in profits, as well as income from other corrorate rights which is subjected to the same taxation eatment as income from shares by the laws of the late of which the company making the distribution a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, heing a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

#### Article 12

#### INTEREST

- (1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- (2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed—10 per cent of the gross amount of the interest
- (3) Notwiths canding the provisions of paragraph
  (2):
  - (a) interest arising in India and paid to the Government of Bangladesh or to the Bangladesh Bank shall be exempt from Indian tax;
  - (1) interest arising in Bangladesh and paid to the Government of India or to the Reserve Bank of India shall be exempt from Bangla-Jesh tax.

The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other institution to which this paragraph shall apply.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from povernment securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

- (5) The provisions of paragraphs (1) to (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- (6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State of permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- (7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim tor which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### Artficle 13

#### ROYALTIES

- (1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- (2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
- (3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but does not include any payments in respect of the operation of mineral deposits, sources and other natural resources.
- 2271 GJ192-4.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

en illi i mer dia elem bitali elem ti

- (5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- (6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

# Article 14

#### CAPITAL GAINS

- (1) Subject to the provisions of paragraph (3), capital gains arising from the sale, exchange or transfer of a capital asset as defined under the respective tax laws of the Contracting States shall be taxable only in the Contracting State in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer.
- (2) For the purpose of this Article, the situs of the shares of a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.
- (3) Capital gain's derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 15

# INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable

\_\_\_\_\_

enly in that Contracting State. However, such income may be taxed in the other Contracting State if

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in the previous year or income year concerned of that Contracting State.
- (2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or tenching activities, as well as the independent posivities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, archivers, dentists and accountants.

#### Article 16

#### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- (1) Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom shall be taxable only in that other Contracting State.
- (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:
  - (a) he is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the 'previous year' or 'income year' concerned or he is present in that other Contracting State for any period which forms part of a continuous period exceeding 183 days throughout which he is present in that other Contracting State and
  - (h) the remineration is raid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other Contracting State and
  - (2) the remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment characable to tax in the other Contracting State
- (3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article remuneration for personal services performed abroad a thip or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 17

#### DIRECTOR'S FEES

Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

#### Article 18

# ENTERTAINERS AND ATHLETES

- (1) Notwithstanding the provision, of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion peture, radio or television artists, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State
- (2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provision of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
- (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to remuneration or profits, salaries, vages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers athlete if their visit to that State is substantially supported from the public funds of the other Contracting State, including those of any political sub-division, a local authority or statutory body thereof, nor to incore derived by a non-profit making organization in respect of such activities provided no part of its income is payable to, or is otherwise available for the personal benefit of its proprietors, members or shareholders

#### Article 19

#### NON-GOVERNMENTAL PENSIONS

- (1) Any pension other than pension to which paragraph (1) of Article 20 applies and any annuity derived from sources within a Contracting State by an individual, who is a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State
- (2) The 'erm 'pension' as used in Article 20 and this Article means periodic payments made in consideration for serivces renered or by way of compensation for inimies received.
- (3) The term "annuity" as used in paragraph (1), means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable region or time under an obligation to make the payment in return for adequate and full consideration in money or money's worth

# Article 20

# GOVERNMENTAL REMUNERATION INDIPENSION

- (1) Remuneration including pensions paid by or out of funds created by a Contracting State or a positical sub-division or a local authority thereof, to any individual who is a citizen of that Contracting State in respect of serivices residered to that Contracting State or political sub-division of local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.
- (2) The provisions of paragraph (1) shell not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by Government of either of the Contracting States of a political sub-division or a local authority thereof for the purpose of profit
- (3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to remuneration including pensions paid by the Reserve Bank of India and the Bangladesh Bank.

#### Article 21

# STUDENTS, TRAINEES AND APPRENTICES

- (1) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State, solely
  - (a) as a student at a recognised university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, or
  - (b) as a business or technical apprentice in an organisation other than a permanent establishment of an enterprise of the firstmentioned Contracting State, or
  - (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, chair; able, scientific or educational organisation,

shal be exempt from tax in that other Contracting State in respect of —

- (i) the remittances from abroad for the purpose of his maintenance, education, study, reserch or training; the maximum period of exemptions being five years;
- (ii) the grant, allowance or award; and
- (iii) any amount not exceeding the sum of Rs. 15,000|- per annum or its equivalent cum in Bangladesh currency during the 'previous year' or 'income year', as the case may be representing remuneration for an employment in that other Contracting State if the employment is related with his studies or his training or if it is necessary for his maintenance.
- , (2) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year,

- as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (1), solely to acquire technical, professional or ousiness experience from a person other than such enterprise or organisation. It is the exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for such period for his services directly related to the acquisition of such experience, to the extent such remuneration does not exceed the sum of Rs. 12,000 per annum or its equivalent sum in Bangladesh currency, during the 'previous year' or the 'income year', as the case may be.
- (3) An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State under arrangements with the Government of that other Contracting State or any egency thereof solely for the purpose of training, study or crientation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training, study or orientation

#### Article 22

#### PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

- (1) A professor or a teacher who visits a Contracting State for the purposes of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that Contracting State.
- (2) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarly for the private benefit of a specific person or persons.
- (3) For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the 'previous year' or 'income year' in which he visits the other Contracting State, or in the immediately preceding 'previous year' or 'income year' as the case may be.
- (4) For purposes of paragraph (1), 'approved institution' means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

#### Article 23

# INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS

- (1) The Government of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State.
- (2) For the purposes of paragraph (1) of this Article, the term 'Government'—
  - (a) in the case of India means the Government of India and shall include—

- (i) the Governments of the States and the Union territory of India;
- (ii) the Resere Bank of India;
- (iii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States.
- (b) in the case of Bungladesh means the Government of the People's Republic of Bangladesh and shall unclude ——
  - (i) the Bangladesh Bank,
  - (ii) any such institution or body as may be agreed from time to time between the two Contracting States

#### Article 24

#### INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

The laws in force in each Contracting State shall continue to govern the taxation of incomes in the respective Contracting States, except where express provision to the contrary has been made in this Convention.

#### Chapter IV

# METHOD FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

#### Article 25

Elimination of Double Taxation

- (1) In the case of a resident of India, double taxation shall be avoided as follows:
  - Subject to the provisions of Indian tax law regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof) the Bangladesh (excluding in the case of a tax payable dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Bangladesh and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Bangladesh which has been subjected to tax both in Bongladesh and India shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Indian tax which the income from sources within Bangladesh bears to the entire income subject to Indian

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Bangladesh, so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance if any against surtax payable by it in India,

- (2) For the putposes of paragraph (1), the term "Bangladesh tax rayable" shall be deemed to include the amount of Bangladesh tax which would have been payable if the Bangladesh tax had not been exempted or reduced in accordance with the following provisions of Bangladesh law:
  - (a) clause (x) of Section 29(1), section 45 and section 46 of the Income Tax Ordinance, 1984.
  - (b) paragraph 7 of the Third Schedule to the income Tax Ordinance, 1984;
  - (c) paragraphs 10, 11, 12, 13, 15 and 22 of Part B of the Sixth Schedule to the Income Tax Ordinance, 1984;
  - (d) paragraphs (c), (e), (f), (g) and (h) of Notification number S.R.O. 417A-L|76, dated 29 November, 1976; and paragraphs (a), (b) and (d), of the said Notification so far as the exemption or relief relates to loans made with a view to promoting economic development in Bangladesh:

So far as they were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respec's so as not to affect their general character;

(e) under any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character:

Provided 'hat the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed:

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.
- (3) In the case of a resident of Bangladesh, double taxation shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of the law of Bangladesh regarding the allowance as a credit against Bangladesh tax of tax payable in any country other than Bangladesh (which shall not affect the general principle hereof), the Indian tax payable (excluding in the case of dividends, tax payable in respect of the profits out

of which the dividend is paid) under the law of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Bangladesh in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Bangladesh shall be allowed as a credit against Bangladesh tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Bangladesh tax which such income bears to the entire income chargeable to Bangladesh tax.

- (4) For the purpose of paragraph (3) of this Article the term "Indian tax payable" shall be deemed to include arly amount which would have been payable as Indian tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under:
  - (a) any of the following provisions, that is to say, sections 10(4), 10(4A), 10(6) (viia), 10(15) (iv), 10A, 32A, 33A, 35C, 35CC, 54E, 80CC, 80HH, 80HHA, 80I, 80J, 80K, 80L of the Income Tax Act, 1961; or
  - (b) a 1/ other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character of it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character:

Provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed:

- (a) in the case of dividends an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(a) of Article 11 and 15 per cent of the gross amount of dividends in the case of dividends referred to in paragraph 2(b) of Article 11;
- (b) in the case of interest an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties an amount equal to 10 per cent of the gross amount of such royalties.

#### Chapter \*\*

#### SPECIAL PROVISIONS

#### Article 26

#### NON-DISCRIMINATION

- (1) The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may by subjected.
- (2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably

levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

- (3) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdencome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.
- (4) Nothing contained in paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall be construed as
  - (a) obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions which it grants to its own residents;
  - (b) affecting any provisio's of the tax laws of the respective Contracting States regarding the imposition of tax on non-resident persons as such;
  - (c) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding any tax concessions granted to persons fulfilling specified conditions.
- (5) In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

#### Article 27

#### MUTUAL AGREEMEN'T PROCEDURE

- (1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present the case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is later.
- (2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.
- (3) The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the climination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

(4) The competent authority of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of applying the provisions of this Convention. When it seems advisable is order to reach agreement to have as oral exchange of opinious, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

#### Article 28

#### EXCHANGE OF INFORMATION

- (1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed only to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Convention, or to persons with respect to whom the information relates.
- (2) The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information which shall be furnished on a routine basis.
- (3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - (b) to supply information which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

#### Article 29

#### ASSISTANCE IN COLLECTION

- (1) The two Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the Contracting State making the request.
- (2) In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that Contracting State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes.

- (3) In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) to the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the tax payer.
- (4) In the case of Bangladesh tax, the request will be sent by the National Board of Revenue of the Government of the People's Republic of Bangladesh to the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue) in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Bangladesh to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.
- (5) Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.
- (6) A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.
- (7) The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs (1), (2) and (5) of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering assistance in the recovery of such tax.

#### Article 30

## DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under provisions of special Convention.

#### Chapter VI

#### FINAL PROVISIONS

#### Article 31 --

#### ENTRY INTO FORCE

- (1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dhaka as soon as possible.
- (2) This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:
  - (a) in Bangladesh, for any year of assessment beginning on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

(b) in India, for any year of assessment beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place

#### Article 32

#### **TERMINATION**

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect:

#### (a) in Bangladesh ·

In respect of income assessable for any vear of assessment commencing on 1st day of July in the calendar year next following that in which such notice is given, and subsequent years;

#### (b) in India .

In respect of income assessable for any year of assessment commencing on 1st day

of April in the calendar year next following that in which such notice is given, and subsequent years.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Convention.

Done in duplicate at New Itelhi on 27th August, 1991 in Hindi, Bengali and English Languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Government of the Republic of India

Sd|-

(MADHAVSINH SOLANKI)
Minister of External Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh

SdI-

(A.S.M. MOSTAFIZUR RAHMAN)
Minister for Foreign Affairs

[No. 9086]F. No. 501]2,72-FTD]
T. S. KRISHNA MURTHI, Jt. Secy.